

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक/177/244/ 2017/ 50-2

भोपाल २४/1/2017

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला समस्त मध्यप्रदेश.
2. समन्वयक, क्षेत्रीय महिला संसाधन केन्द्र, इन्दौर, ग्वालियर व जबलपुर.
3. संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक, महिला सशक्तिकरण संभाग-समस्त म.प्र.
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, जिला-समस्त म.प्र.
5. परियोजना अधिकारी/खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी परियोजना-समस्त.

विषय:- लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन / बालिका के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य की निगरानी (ट्रेकिंग) हेतु।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र एफ/मस/2016/1913
दिनांक 25.10.2016

मध्यप्रदेश में महिलाओं से संबंधित संकेतक लिगांनुपात में सुधार, बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना वर्ष 2007 से संचालित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से योजना का सरलीकरण करते हुये संचालन किया जा रहा है। योजना के रिजिट पूर्व हितग्राही बालिका के पंजीयन पश्चात् लगातार पांच वर्ष तक रुपये छः-छः हजार के राष्ट्रीय बचत पत्र डाकघर से क्रय करते हुए हितग्राही/अभिभावक को उपलब्ध कराये जाते थे। जिससे बालिका के परिवार से सतत सम्पर्क बना रहता था तथा बालिका के पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी उत्तरोत्तर गतिविधियां भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / पर्यवेक्षक के माध्यम से ज्ञात होती रहती थी।

संदर्भित पत्र के माध्यम से बालिका के समग्र विकास के लिये उसके 21 वर्ष आयु पूर्ण करने तक पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की गतिविधियों पर निगरानी (ट्रेकिंग) के लिये प्रारम्भिक निर्देश जारी किये गये थे। वर्तमान में योजना अंतर्गत हितग्राही बालिका को पंजीयन उपरांत लाडली प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, अतः बालिका की ट्रेकिंग के लिये आवश्यक है कि बालिका के योजना में पंजीयन पश्चात् आगामी 4 वर्षों में बालिका के नाम से लाडली लक्ष्मी योजना निधि में प्रतिवर्ष अंतरित की जाने वाली छः-छः हजार की राशि के आहरण के पूर्व स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से नियत प्रपत्र (संलग्न) में

::2::

सत्यापित जानकारी प्राप्त की जाये। बालिका के पोषण, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्थिति के पश्चात अध्ययन, पुस्तकें, गणवेश (यूनीफार्म) संबंधी जानकारी भी संलग्न प्रपत्र पर प्रतिवर्ष आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से हितग्राही/अभिभावक से सम्पर्क कर प्राप्त की जावें।

क्षेत्रीय समन्वयक, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा भी प्रतिमाह बालिका के पोषण, शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी (ट्रेकिंग) की समीक्षा की जावे। परियोजना अधिकारी व खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा मासिक रूप से प्रत्येक बालिका की निगरानी (ट्रेकिंग) संबंधी जानकारी प्राप्त की जावे। साथ ही प्रतिवर्ष उक्त कार्य की संभाग एवं जिला स्तर पर प्रति छमाही समीक्षा करते हुए परिलक्षित तथ्यों/प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराया जावे।
संलग्न :- लाडली लक्ष्मी बालिका की (ट्रेकिंग) प्रपत्र.

(पंकज शर्मा)

अधर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठां० क्रमांक 178/244/2017/50-2
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 28/1/17

1. विशेष सहायक, मान० मंत्री जी, महिला एवं बाल विकास विभाग
2. निज सचिव, म०प्र०शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग
3. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा/महिला सशक्तिकरण संचालनालय भोपाल
4. अनुभाग अधिकारी, शाखा-2/गार्ड फाईल की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

लाडली लक्ष्मी बालिका की ट्रेकिंग / हेतु प्रपत्र

वर्ष -----

सामान्य जानकारी		
ज़िला		
परियोजना		
ग्राम का नाम		
आंगनबाड़ी का नाम / क्रमांक		
बालिका की ट्रेकिंग एवं परिवार से मुलाकात की दिनांक / वर्ष		
2 बालिका की व्यक्तिगत जानकारी		
बालिका का ई-पंजियन क्रमांक		
बालिका का नाम		
बालिका की जन्म दिनांक		
बालिका की उम्र		
बालिका की माता का नाम		
बालिका के पिता का नाम		
बालिका का आधार क्रमांक		
क्या बालिका ग्राम/वार्ड में ही निवास कर रही है	हाँ / नहीं	-----
यदि नहीं तो बालिका कहाँ निवासरत है / निवास का पता		
बालिका के पिता का आधार क्रमांक		
मोबाइल नंबर		
3 बालिका के टीकाकरण की स्थिति		
बालिका की ट्रेकिंग एवं मुलाकात की दिनांक / वर्ष		
बालिका को बी.सी.जी. लगाया गया है	हाँ / नहीं	-----
बालिका को डी.पी.टी. - 1 लगाया गया है	हाँ / नहीं	-----
बालिका को डी.पी.टी. - 2 लगाया गया है	हाँ / नहीं	-----
बालिका को डी.पी.टी. - 3 लगाया गया है	हाँ / नहीं	-----
बालिका को मीजल्स / विटामिन A दिया गया है	हाँ / नहीं	-----
4 बालिका के पोषण की स्थिति		
बालिका का वजन		
बालिका की लम्बाई		
बालिका का बी.एम्.आई.		
बालिका के पोषण का स्तर		
5 बालिका के स्वास्थ्य की स्थिति		
बालिका का वजन		
बालिका एनीमिक (खून की कमी) तो नहीं है	हाँ / नहीं	-----
बालिका द्वारा आई.एफ.ए. की टेबलेट ली जा रही है	हाँ / नहीं	-----
क्या बालिका द्वारा सेनेटरी नेपकिन का उपयोग हो रहा है	हाँ / नहीं	-----
6 शिक्षा की स्थिति		
बालिका कौन सी कक्षा में अध्ययनरत है		
विद्यालय का नाम		
क्या बालिका को पुस्तकें एवं गणवेश प्रदाय किये गए हैं	हाँ / नहीं	-----

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम एवं
हस्ताक्षर

पालक/अभिवावक का नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक -----